शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 03.11.2024

थाना निगोही पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना निगोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 617/24 धारा 205/318(4) बनाम अज्ञात से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त फर्जी आर्मी कैप्टन रवि पुत्र सीताराम निवासी मऊ खास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना निगोही पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 617/2024 धारा 205/318(4) बनाम अज्ञात बावत अज्ञात व्यक्ति नाम व पता अज्ञात द्वारा अपने आप को आर्मी का अधिकारी बताना तथा वादी से उसके परिजनों जो कि हत्या के मुकदमें में जिला कारागार जनपद पीलीभीत में बन्द है, को जेल से छुड़वाने की बात कहकर 50000 रूपये की मांग करने के संबंध में पंजीकृत मुकदमें से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त **फर्जी आर्मी कैप्टन रवि पुत्र सीताराम** निवासी मऊ खास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर को मय आर्मी अधिकारी की वर्दी धारण किये हुये ब्रह्म देव स्थान चौकी टिकरी के पास से गिरफ्तार किया गया व उसके कब्जे से एक अदद थल सेना का दूसरे व्यक्ति का कैन्टीन स्मार्ट कार्ड, एक मो0सा0 स्पलेण्डर नंबर UP 27 AU 5028 व एक अदद मोबाइल फोन ओप्पों कम्पनी फर्जी दस्तावेज रखने व फर्जी रूप से आर्मी की वर्दी धारण करने के संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1.रवि पुत्र सीताराम निवासी मऊ खास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 617/24 धारा 205/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना निगोही

पूछताछ विवरण-:

अभियुक्त रवि उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनाँक 03.11.24 को मैं मोटरसाइकिल से थाना निगोही क्षेत्र चौकी टिकरी आया था। मैने अपने फोन से चन्दनलाल पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम गायबोझ थाना सुनगढी जिला पीलीभीत को फोन करके ब्रह्मदेव स्थान के पास उनके भाईयो को जेल से छुडाने के नाम पर बुलाया था, जेले से छुडाने के नाम से मैने चन्दनलाल से 50000 रुपये की मांग की थी। तभी चन्दनलाल ने मेरे विरुद्ध पुलिस को सूचना दे दी तथा पोस्टिंग के बारे में पूछने पर बताया कि मैं NDA से कैप्टन पद पर जाट रेजीमेण्ट में नियुक्त

हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में चल रही है। मैं यहा अपने घर छुट्टी पर आया हूँ। परिचय पत्र व अधिकारियों के मोबाइल नंबर मांगने पर कोई परिचय पत्र नहीं दिखा सका तथा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। NDA की फुल फार्म के बारे में पूछा तो उसकी फुल फार्म भी नही बता सका। उसके बाद गहनता से जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं ग्राम मऊ खालसा का रहने वाला हूँ तथा कक्षा 10 तक पढ़ा हूँ। मैं पहले शाहजहाँपुर कैण्ट स्थित आर्मी के भोजनालय में दैनिक मजदूरी पर काम करता था। बाद में बरेली जाट रेजीमेंण्ट के अधिकारियों के यहा काफी दिनों से खाना बना रहा हूँ। इसी कारण मुझे आर्मी की काफी जानकारी हो गयी। मेरे मन में लालच आ जाने के कारण मैने आरमी के कैप्टन रैंक की वर्दी बनवा ली और भोले भाले लोगो को आर्मी के अधिकारी का अपना परिचय व धौस देकर उनसे काम के नाम पर कुछ पैसे ले लेता हूँ।

बरामदगी का विवरण – 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर नंबर UP 27 AU 5028 व एक मोबाइल फोन ओप्पो व एक थल सेना का कैण्टीन स्मार्ट कार्ड नंबर A010314644919000T00 जो नरेश कुमार रैंक DM ON RT ARM व एक ड्राइविंग लाइसेंस एक अदद आर्मी की हरे रंग की बेल्ट यूनिफार्म , कंधे पर लगाने वाले क्राउन, फ्लैप 3 स्टार वाले जिन पर जाट लिखा है , आर्मी बूट तथा एक बैलट कैप ग्रीन कलर जिस पर सफेद धातु का मोनोग्राम 9 जाट रेजीमेंण्ट व एक नेमप्लेट जिस पर रवि लिखा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान थाना निगोही शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिंह थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री बन्टी कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1978 केशवपाल थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर